अध्याय I

सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा एकत्रित सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि व) 16 एवं विव15 के संसाधनों का सार चित्रित करती हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	विव16	**विव15**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,200	16,66,717
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	7,42,012	6,95,792
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	7,13,879	5,49,343
iii. *गैर कर प्राप्तियां*	4,84,428	4,19,982
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	1,881	1,600
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[1]	42,132	37,740
ग. कर्जे तथा अग्रिमों[2] की वसूली	41,878	26,547
घ. लोक ऋण प्राप्तियां[3]	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**63,43,160**	**59,49,200**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संबंधित लेखे

नोट: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग विव16 में ₹ 5,06,193 करोड़ और विव15 में ₹ 3,37,808 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में विव15 में ₹59,49,200 करोड़ से विव16 में ₹63,43,160 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विव16 में इसकी स्वयं की प्राप्तियां

---

[1] इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है।

[2] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वूसलीः

[3] भारत सरकार द्वारा आंतरिक रूप के साथ-साथ बाह्य रूप से उधारियां

₹ 19,42,200 करोड़ थी जिनमें ₹ 14,55,891 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल है। जिसमें से अन्य करो सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 7,13,879 करोड़ के लिए लेखांकित की गयी थी।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सेवा कर: सेवा कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित[4] किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा[5] शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी (44) में "सेवा" परिभाषित की गई है।

ख) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)

ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले

---

[4] वित्तीय अधिनियम, 2012 द्वारा धारा 66 बी सम्मिलित की गयी 1 जुलाई 2012 से प्रभावी; धारा 66ङ।

[5] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देती है।

प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

यह अध्याय सेवा कर में प्रवृत्तियों, सरचंना और प्रणालीगत मुद्दों, वित्तीय खातों में डेटा का उपयोग करना, विभागीय खातें और प्रासंगिक सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध डाटा पर चर्चा करता है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्डों नामत:, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा देखभाल की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीएसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यकारी कमिश्नरियों, द्वारा शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों मे बांटा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों के अंतर्गत कमिश्नर की अध्यक्षता में 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नियां, 36 विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां है। डिवीजन और रेंज अगले संरंचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमश: उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिश्नरियां 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और विशिष्ट कार्यों से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय है।

31 मार्च 2016 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत स्टाफ संख्या 91,756 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट । में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन

तालिका 1.2 वि‍व12 से वि‍व16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि चित्रित करती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की % के रूप में	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि‍व12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि‍व13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि‍व14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि‍व15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि‍व16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77

स्रोत: कर राजस्व-संघ वित्त लेखे (प्रॉविजनल), जीडीपी- सीएसओ[6] की प्रेस नोट

यह देखने में आया है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान कुछ कमी दर्शाने के बाद वि‍व16 में प्रतिशत मे वृद्धि हुई है सकल कर राजस्व में वि‍व15 की तुलना मे वि‍व16 में अप्रत्यक्षकर के शेयर में वृद्धि हुई है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष अंशदान

तालिका 1.3 वि‍व12 से वि‍व16 तक की अवधि के लिए जीडीपी के अनुपात में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संघटकों की समद्देही चित्रित करती है।

---

[6] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 31 मार्च 2016 को जीडीपी पर जारी प्रेस विज्ञाप्ति 1 यह दर्शाता है कि वि‍व14 और वि‍व15 के लिए आकड़े नए श्रंखला आकलनों पर आधारित हैं; और वि‍व16 के लिए आंकडे वर्तमान मूल्यो पर प्राविजनल आकलनो पर आधारित हैं सीएसओ द्वारा आंकड़ो को लगातार संशोधित किया जा रहा है और यह डेटा का अर्थ है मेको आर्थिक निष्पादन के साथ चालू वित्त वर्ष के निष्पादन को एक सांकेतिक तुलना करने के लिए है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	एसटी राजस्व	जीडीपी के % के रूप में एसटी राजस्व	के.उ.शु राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु राजस्व	सीमाशुल्क राजस्व	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि‍व12	90,09,722	97,509	1.08	1,44,901	1.61	1,49,328	1.66
वि‍व13	99,88,540	1,32,601	1.33	1,75,845	1.76	1,65,346	1.66
वि‍व14	1,13,45,056	1,54,780	1.36	1,69,455	1.49	1,72,085	1.52
वि‍व15	1,25,41,208	1,67,969	1.34	1,89,038	1.51	1,88,016	1.50
वि‍व16	1,35,76,086	2,11,415	1.56	2,87,149	2.12	2,10,338	1.55

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकडे संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखाओं के अनुसार हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मध्य, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हुई है, हालांकि वि‍व15 के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई। सभी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व की हिस्सेदारी में वि‍व16 में वृद्धि हुई हैं।

1.6 सेवा कर की वृद्धि- प्रवृत्तियां एवं संरचना

तालिका 1.4 वि‍व12 से वि‍व16 के दौरान सम्पूर्ण और जीडीपी के संबंध में सेवा कर की वृद्धि प्रवृत्तियों को चित्रित करती है।

तालिका 1.4: सेवा कर की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर	जीडीपी के % रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सेवा कर
वि‍व12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	97,509	1.08	10.97	24.83
वि‍व13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.33	12.79	27.93
वि‍व14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,54,780	1.36	13.59	31.12
वि‍व15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,67,969	1.34	13.49	30.75
वि‍व16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,11,415	1.56	14.52	29.77

स्रोत: कर प्राप्तियों के ऑकड़े संबंधित वर्षों के संबंधित वित्त लेखों के अनुसार है।

विव16 के दौरान सेवा कर को सकल कर राजस्व 14.52 प्रतिशत के लिए लेखांकन किया गया था। सकल कर राजस्व में सेवा कर का हिस्सा तीव्रता से बढ़ रहा है जबकि कुल अप्रत्यक्ष करो में इसके हिस्से में विव16 में एक प्रतिशत के आस-पास की गिरावट हुई है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2015-16 में 9.2 प्रतिशत हुई, अत्यन्त कम थी, जबकि 2014-15 में 10.6 प्रतिशत[7] की वृद्धि दर की तुलना में कमी मुख्य रूप से 2014-15 में 10.7 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत लोक प्रशासन रक्षा और अन्य सेवाओं की सयुक्त श्रेणी की वृद्धि में गिरावट के कारण हुई थी।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

वित्तीय अधिनियम, 1994, के अनुसार, सेवा कर 30 जून 2012 तक 119 सेंवाओं पर लगाया गया था। 1 जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची को प्रभावी किया गया था, धारा 66डी के तहत निर्दिष्ट प्रविष्टयों की तुलना में सभी सेवाएं जैसे- रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं, एक विदेशी राजनयिक द्वारा सेवाएं जिसका विशेष कार्य भारत मे स्थित हो, माल व्यापार, एक सड़क या पुल के उपयोग के माध्यम से टोल शुल्क के भुगतान से सेवाएं, स्कूल-पूर्व-शिक्षा के माध्यम से और उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक या समकक्ष आदि की शिक्षा के लिए के अलावा सभी सेवाएं कर योग्य थी।

यह पाया गया कि कोई एकल सेवा, सेवा कर की प्रमुख नहीं अंशदाता है। तथापि, शिखर पांच श्रेणी सेवाओं ने विव16 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण मे 28 प्रतिशत का अंशदान दिया जिसे पाई चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है। बकाया सेवाओं में व्यवसाय जैसे सहायक सेवाएं, कारबार सहायक सेवाएं, अचल सम्पत्ति को किराए पर देना, सड़क द्वारा माल का परिवहन, जीवन बीमा इत्यादि की श्रेणियां शामिल हैं जिन्होंने 72 प्रतिशत अशंदान दिया।

---

[7] पैरा 7.12 सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था 2015-16 (अध्याय ॥)

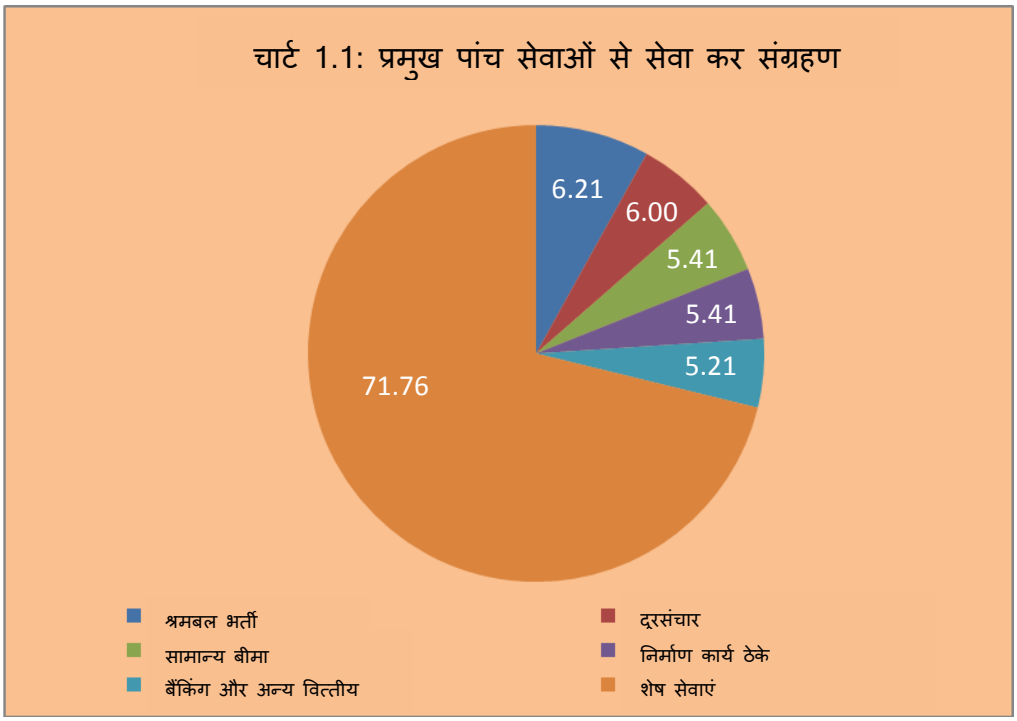

वित12 से वित16 के दौरान इन पांच शिखर श्रेणी सेवाओं से सेवा कर संग्रहण तालिका 1.5 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.5: पांच शिखर सेवा श्रेणियों से सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित12	वित13	वित14	वित15	वित16
श्रम बल भर्ती	3,847	4,432	7,335	9,045	13,129
दूरसंचार	5,402	7,538	12,643	13,531	12,690
सामान्य बीमा प्रीमियम	5,234	6,321	8,834	9,263	11,436
निर्माण कार्य ठेका	4,179	4,455	7,434	8,139	11,434
बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	5,876	4,964	7,185	8,099	11,005

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें।

यह पाया गया कि श्रमबल भर्ती सेवा, जो वित15 में तीसरे स्थान पर थी, वित16 में सर्वोच्च सेवा कर राजस्व भुगतान सेवा बन गई है जिसके बाद दूरसंचार और सामान्य बीमा प्रीमीयम सेवाएं है।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	अस्थायी पंजीकरण की संख्या (पैन आधारित नहीं)	निर्धारितियों की संख्या जिन्होने विवरणी दाखिल की	पंजीकरण करने वालों की % जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि‍व12	17,67,604	12.88[8]	3,00,421	7,31,042	41.36
वि‍व13	19,97,422	13.00	3,00,875	8,62,624	43.19
वि‍व14	22,73,723	13.83	3,01,192	9,99,200	43.95
वि‍व15	25,26,932	11.14	3,01,413	10,94,862	43.33
वि‍व16	28,28,358	11.93	3,01,448	11,67,181	41.27

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा विसंगति पर टिप्पणी

यह देखा गया कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तथापि, विवरणी फाइल करने वाले पंजीकृत निर्धारितियों के प्रतिशत में वि‍व16 में 2 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। 2013-14 के दौरान कार्यान्वित एसटी स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस) का लक्ष्य मुख्य रूप से विवरणी फाइल न करने वाले, विवरणी फाइल करना बंद करने वालों को विवरणी फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 2015-16 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 15 चयनित कमिश्नरियों में, उद्घोषकों (2016 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 22 का पैरा 4.3.1) द्वारा पश्च वीसीईएस अवधि में वास्तव में केवल 62 प्रतिशत विवरणियां दाखिल की गई थी। विभाग को विवरणियां दाखिल न करने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है और देय विवरणियों को दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

1.9 सेवा कर में बजटीय मामलें

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन और तदनुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना को दर्शाती है।

[8] वि‍व 11 के दौरान एसटी पंजीकरण 15,52,521 थे।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आररई के बीच % ता अन्तर
विव12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2.64
विव13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
विव14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15
विव15	2,15,973	1,68,132	1,67,969	(-)48,004	(-)22.23	(-)0.10
विव16	2,09,774	2,10,000	2,11,415	1,641	0.78	0.67

स्रोत: संघ वित्त लेखे तथा संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज

यह पाया गया कि विव16 के दौरान सेवा कर का वास्तविक संग्रहण बजट प्राक्कलनों और संशोधित बजट आकंलनों से थोडा अधिक था।

1.10 सेवा कर का बकाया

प्रति वर्ष हम मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर सेवा कर के बकाया पर अध्याय-I टिप्पणी करते हैं। इस वर्ष इस विषय पर एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई और सभी निष्कर्ष अध्याय-II में शामिल किए गए हैं।

1.11 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

डीजीसीईआई के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि कमिश्नरियां अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ शुल्क अपवंचन के विरूद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसी संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों के साथ सांझा की जाती है। अखिल भारतीय उप-शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है। तालिका 1.8 गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन दर्शाती हैं।

तालिका 1.8: गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
विव14	9,215	14,842	5,103
विव15	6,719	10,544	4,448
विव16	7,534	18,971	4,658

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह पाया गया है कि सेवा कर मामलों की संख्या और डीजीसीईआई द्वारा खोजी गई राशियों में विव15 की गिरावट की तुलना में विव16 के दौरान वृद्धि हुई है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.12 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की थी। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया था। स्वनिर्धारण काल में भी विभागीय अधिकारियों का कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की पुष्टि किया जाना जारी है क्योंकि ये वे ही हैं जो कर भुगतान[9] की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक देयता रखते हैं। यह सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो आगे जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन किए जाते हैं। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 परिकल्पना करती है कि संवीक्षा दो चरणों, अर्थात विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा, जो एसीईएस अनुप्रयोग द्वारा की जानी है और निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप से की जानी है, में की जानी है।

[9] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 पैरा 1.2.1 ए

1.12.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण, शुल्क का समय से भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की गणितीय यथार्थता और फाइल न करने वालों और फाइल करना बंद करने वालों[10] की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.9 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9 सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में दाखिल विवरणियों की सं.	समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों का %	समीक्षा एवं सुधार के बाद मुक्त विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं सुधार हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	सुधार लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि व14	18,21,672	6,34,413	34.83	70,849	5,63,564	88.83
वि व15	20,18,354	6,04,794	29.96	83,229	5,21,565	86.24
वि व16	21,28,652	4,92,387	23.13	1,05,415	3,86,972	78.59

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा त्रुटि पर टिप्पणी।

एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएण्डसी) हेतु चिन्हित विवरणियों की प्रतिशतता विव16 में 23.13 प्रतिशत तक कम हो गई जो एक स्वस्थ संकेत है और एसीईएस का स्थिरीकरण दर्शाता है और इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है।

यह भी पाया गया आर एंड सी के लिए चिन्हित विवरणियों की संख्या और प्रतिशत में बहुत अधिक कटौती के बावजूद कि आर एंड सी हेतु चिन्हित 78.59 प्रतिशत विवरणियां 31 अक्तूबर 2016 को लंबित थीं। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा लागू करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य विस्तृत मानवीय संवीक्षा हेतु जनशक्ति निर्मुक्त करना था जो तब रेंज/ग्रुप[11] का मुख्य कार्य बन सकता था। आर एंड सी पहचान के बाद सुधार हेतु लम्बन की उच्च संख्याए दर्शाती हैं कि उन्हें प्राप्त किया जाना से काफी दूर हैं।

---

[10] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

[11] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.ख

एसीईएस में विवरणियों के आरएण्डसी की पूर्णता निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए पूर्व अपेक्षा है। विवरणियों की बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लंबित होने से सेवा कर संग्रहण के समयबाधित और गलत प्रदर्शन का जोखिम हो जाता है।

1.12.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करना और मूल्यांकन, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त वर्गीकरण तथा कर की प्रयुक्त प्रभावी दर आदि[12] की सत्यता सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से अलग विस्तृत जांच का उद्देय कर दाताओं[13] द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में दी गई सूचना से विकसित जोखिम प्राचलों के आधार पर पहचानी गई केवल कुछ चयनित विवरणियों को कवर करना है। अक्तूबर 2014 में विभाग की पुर्नसंरचना के भाग के रूप में पृथक लेखापरीक्षा कमिश्नरियों के गठन के बाद विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करना कार्यकारी कमिश्नरियों का मुख्य कार्य बन गया।

बार बार हमारे अनुस्मारकों के बावजूद, मंत्रालय ने विव14, विव15 और विव16 के पहले सात महीनों के लिए विस्तृत संवीक्षा आंकडे प्रस्तुत नही किए। नवम्बर 2015 से मार्च 2016 के दौरान, 9,785 रिटर्नों के संबंध में विस्तृत संवीक्षा की गई थी और पता चले कम भुगतान/गैर भुगतान के ₹ 149.82 करोड़ के प्रति ₹ 74.45 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विस्तृत संवीक्षा के लिए चिंहित रिटर्नों की वास्तविक संख्या प्रस्तुत नहीं की थी। पूर्ण विवरणों के अभाव में, विस्तृत संवीक्षा की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

1.13 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य

---

[12] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

[13] सीबीईसी परिपत्र 113/7/2009-एसटी दिनांक 23 अप्रैल 2009

बातों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार विकसित हो सकते है। अधिनिर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.10 सेवा कर अधिनिर्णय का कालवार विश्लेषण चित्रित करता है।

तालिका 1.10 विभागीय अधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
	सं.	राशि	
विव14	19,925	31,790	4,383
विव15	33,122	77,463	12,668
विव16	30,453	76,124	8,587

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

विव15 की तुलना में विव16 में एक वर्ष से अधिक के लिए लम्बित मामलों सहित लम्बित अधिनिर्णय मामलों की संख्या में कमी आई किन्तु इनमें शामिल राशि में केवल मामूली कमी आई।

1.14 प्रतिदाय दावों का निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे तथा वापसी के अनुदान के लिए विधिक प्राधिकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बी बी प्रावधान करती है कि यदि यह वापिस नहीं किया जाता है तो वापसी के आवेदन की तिथि के तीन महीने के अन्दर वापसी राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

तालिका 1.11 विभाग द्वारा वापसी दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शाई गई देरी, सभी विवरणों के साथ वापसी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दावों के प्रक्रमण के लिए आवश्यक समय के रूप में है।

तालिका 1.11: सेवा कर में वापसी दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावें	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावसें की संख्या				ब्याज भुगतान	
		निपटानों की कुल संख्या	3 महीनों के अन्दर तथा निपटानों का %	देरी के साथ निपटाए गए दावे			
				< 1 वर्ष	> 1 वर्ष	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज
वि व14	23,145	13,979	11,445 (81.87%)	1,494 (10.69%)	1,040 (7.44%)	0	0
वि व15	*	13,381	*	*	*	14	5.58
वि व16	67,749	37,296	*	*	*	*	*

स्रोत: मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकडे

मंत्रालय ने विव15 एवं विव16 के लिए पूरा डाटा प्रदान नहीं किया।

क्योंकि मंत्रालय ने अथशेष के ब्रेकअप और वर्ष के दौरान विवरण प्राप्त मामलों तथा विव15 और विव16 के दौरान मामलों के निपटान को प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए वह विश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी दावों के लम्बित होने का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.12: 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का वर्षवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावें	31 मार्च को लम्बित वापसी दावों की कुल संख्या		लंबित वापसी दावे			
				1 वर्ष से कम के लिए		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
विव14	23,145	8,154	4,487	6,391	3,582	1,763	905
विव15	*	13,913	8,390	10,848	5,642	3,065	2,747
विव16	67,749	30,453	76,124	21,866	*	8,587	*

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे । * मंत्रालय ने विव15 और विव16 के लिए डाटा प्रदान नहीं किया।

यह पाया गया की विव14 की तुलना में विव16 में मामलों की संख्या के साथ साथ वापसी दावों में संलिप्त राशि दोनों में काफी वृद्धि थी। मंत्रालय इसके कारणों पर ध्यान दे सकता है। विव15 और विव16 के लिए मंत्रालय द्वारा हमारे बार बार अनुस्मारकों के बावजूद पूरा डाटा प्रदान नहीं किया गया।

1.15 अपील मामलें

निर्णायक प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि समेत कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहॉ विधि के मुद्दे, व्याख्याओं आदि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विभाग भी बहुत सी घटनाओं में, बल पूर्वक वसूली उपायों की सहायता लेता है। महत्वपूर्ण अवधि के लिए बहुत बड़ी राशि भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.13 में विभिन्न फोरमों पर मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.13: अपील का लम्बन (सीएक्स ओर एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		पार्टी की अपील		विभागीय अपीलें		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
विव14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटैट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	व्यवस्थापन आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	कुल	**71,860**	**1,08,926**	**27,121**	**28,318**	**98,981**	**1,37,244**
विव15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटैट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	व्यवस्थापन आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	कुल	**76,874**	**1,24,935**	**27,559**	**30,554**	**1,04,433**	**1,55,489**
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	766	3,112	1,525	7,437	2,291	10,549
	उच्च न्यायालय	5,663	13,507	4,900	11,073	10,563	24,580
	सेसटैट	48,071	1,20,689	15,159	24,396	63,230	1,45,085
	व्यवस्थापन आयोग	129	192	0	0	129	192
	कमिश्नर (अपील)	26,821	7,814	4,534	766	31,355	8,580
	कुल	**81,450**	**1,45,314**	**26,118**	**43,672**	**1,07,568**	**1,88,986**

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

तालिका दर्शाती है कि विव16 के अन्त में ₹ 1,88,986 करोड़ के राजस्व वाले मामले अपीलों में लम्बित थे जो कि विव15 के अन्त तक लम्बित राशि से लगभग ₹ 33,000 करोड़ अधिक है। क्योंकि अपील के लम्बन तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है ₹ 1,88,986 करोड़ का अवरोध एक चिंता का विषय है।

वि‍व15 एवं वि‍व16 के लिए सेवा कर के संबंध में अपील के लम्बन के संबंध में मंत्रालय ने डाटा प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 1.14: अपील का लम्बन (एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		पार्टी की अपील का विवरण		विभागयी अपील का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वी.व 15	सर्वोच्च न्यायालय	179	450	359	1,762	538	2,211
	उच्च न्यायालय	1,837	4,663	877	1,717	2,714	6,380
	सेसटैट	16,245	54,654	5,585	6,762	21,830	61,416
	व्यवस्थापन आयोग	73	214	0	0	73	214
	कमिश्नर (अपील)	15,112	3,373	1,925	357	17,037	3,730
	जोड़	**33,446**	**63,354**	**8,746**	**10,597**	**42,192**	**73,951**
वी.व 16	सर्वोच्च न्यायालय	196	959	423	3,077	619	4,036
	उच्च न्यायालय	2,115	6,300	859	2,218	2,974	8,518
	सेसटैट	18,628	63,654	5,546	15,824	24,174	79,478
	व्यवस्थापन कमिशन	52	94	0	0	52	94
	कमिश्नर (अपील)	14,986	4,320	2,619	377	17,605	4,697
	जोड़	**35,977**	**75,327**	**9,447**	**21,496**	**45,424**	**96,823**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

मंत्रालय ने वि‍व14 से वि‍व16 के लिए अपील मामलों के निपटान का विवरण प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका सं. 1.15: वर्ष के दौरान निर्धारित मामलों का अलग-अलग विवरण

वर्ष	फोरम	विभाग की अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	मॉगी गई	सफल अपील का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	दल के विरूद्ध निर्णय	मॉगी गई	सफल अपील का %
विव14	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1247	223	20.50
	सेसटैट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	कुल	**1,603**	**3,092**	**209**	**32.69**	**9,771**	**16,293**	**2,497**	**34.21**
विव15	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1397	206	21.80
	सेसटैट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	कुल	**1187**	**2,851**	**451**	**26.44**	**6,920**	**12,587**	**3,040**	**30.69**
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	7	81	6	7.45	11	3	3	64.71
	उच्च न्यायालय	51	211	25	17.77	118	361	172	18.13
	सेसटैट	114	589	72	14.71	1,020	544	582	47.53
	कमिश्नर (अपील)	275	294	26	46.22	2,897	2,673	1,341	41.92
	कुल	**447**	**1,175**	**129**	**25.53**	**4,046**	**3,581**	**2,098**	**41.60**

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

तालिका से पता चलता है कि अधिनिर्णय आदेश के विरूद्ध विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव14 में 32.69 प्रतिशत से विव16 में 25.53 तक घटा है।

जब विभाग अपील के लिए उच्च न्यायालय (विव14 में 34 प्रतिशत से विव16 में 18 प्रतिशत) और सर्वोच्च न्यायालय (विव14 में 19 प्रतिशत से विव16 में सात प्रतिशत) गया तो उसकी पंजीकृत सफलता अनुपात में काफी गिरावट आई।

1.16 संग्रहण की लागत

तालिका 1.16 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.16 :केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की कीमत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर से प्राप्तियां	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की कीमत	कुल प्राप्तियों के % रूप में संग्रहण की कीमत
विव12	97,356	1,44,540	2,41,896	2,227	0.92
विव13	1,32,601	1,75,845	3,08,446	2,439	0.79
विव14	1,54,780	1,69,455	3,24,235	2,635	0.81
विव15	1,67,969	1,89,038	3,57,007	2,950	0.83
विव16	2,11,415	2,87,149	4,98,564	3,162	0.63

स्रोत: संबंधित वर्षों का संघीय वित्त लेखे

विव16 में संग्रहण की लागत में मामूली वृद्धि हुई किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में इसमें कुल प्राप्तियों में 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मामूली गिरावट आई।

1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण केनेडियाई माडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार विशिष्ट विशेषताएं है: जोखिम विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर बल, वैधानिक अभिलेखों के सम्मुख व्यवसायिक अभिलेखों की बारीकी से जांच तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की मानीटरिंग।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में आरंभिक समीक्षा, प्रणालियों की सूचना एकत्रित एवं दस्तावेजीकरण करना, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन, राजस्व तथा प्रवृत्तियों के लिए जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षा योजना विकसित करना, लेखापरीक्षा निष्कर्ष की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/प्रभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा ढांचे के तीन भाग है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासन के उत्तरदायित्व का सहभाजन करती है। जबकि निदेशालय संग्रहण, समेकन तथा लेखापरीक्षा परिणामों के विश्लेषण

तथा कर अनुपालन में सुधार तथा ग्राहक संतुष्टि के स्तरों को नापने के लिए सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि के लिए उत्तरदायी है, कमीश्नरियों से लेखापरीक्षा दल, लेखापरीक्षा ईए2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकोल की शर्तों के अनुसार करती है। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, जोखिम प्रबंधन नियम पुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटीज में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नियम पुस्तकों जो लेखापरीक्षा को आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करती है के विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता ली।

अक्तुबर 2014 में विभाग की पुर्न संरचना के बाद, नई लेखापरीक्षा कमिश्नरियां बनाई गई। जिसके बाद विभाग ने लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों को तीन वर्गों में पुनः किया अर्थात् संरचित बडी, माध्यम और छोटी यूनिटें और प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशतता में लेखापरीक्षा कमिश्नरी के पास उपलब्ध श्रमबल को आंवटित किया।

तालिका 1.17 लेखापरीक्षा दलो द्वारा वि व16 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया सेवा कर इकाईयों को दर्शाती है।

तालिका 1.17 : विव16 के दौरान आयोजित निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वर्ग	बकाया ईकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षीत ईकाईयों की (संख्या)	लेखापरीक्षा में कमी (%)	लेखापरीक्षा में कमी (%)
बड़ी यूनिटें	5,050	1,906	3,144	62.26
मध्यम यूनिटें	7,618	2,705	4,913	64.49
छोटी यूनिटें	16,548	5,425	11,123	67.22

स्रोत: आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 2015 से मार्च 2016 अर्थात् केवल छः महीने के आंकडे प्रस्तुत किए। यह पाया गया कि उपरोक्त छः महीनों के दौरान, सभी प्रकार के वर्गों यूनिटों में देय लेखापरीक्षा की तुलना में की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में काफी कमीं थी।

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 1.18 में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.18: वि‍व16 के दौरान आपत्तिकृत तथा वसूली गई राशि

(₹ करोड में)

वर्ग	पता लगाई गई कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
बड़ी यूनिटें	8,082	1,369
मध्यम यूनिटें	1,498	510
छोटी यूनिटें	1,101	482
कुल	10,681	2,361

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया है कि बडी यूनिटों में पता लगाई गई कम उद्ग्रहण तथा वसूली गई राशि अन्य यूनिटों से उच्चतर है जिससे बडी यूनिटों के आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता का पता चलता है। इस वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता पर एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई थी, जिसके निष्कर्ष अध्याय-III में शामिल किए गए हैं।

1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

कर दाताओं द्वारा सेवा कर के स्वैच्छिक भुगतान के अलावा, कई तरीके है जिनके द्वारा विभाग करदाताओं द्वारा भुगतान न किए गए देय राजस्व का संग्रहण किया जा सकता है। विभागीय प्रयासों का परिणाम तालिका 1.19 में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.19 : विभागीय प्रयासों से वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि‍व15 के दौरान वसूली	वि‍व16 के दौरान वसूली
1	**आंतरिक लेखापरीक्षा**	826.84	688.76
2	**अपवंचन-रोधी**	3,236.42	3,009.21
3	**सत्यापित मांगे***	621.57	1,015.36
4	**विवरणी की संविक्षा**	152.01	263.23
5	**चूककर्ता से वसूली ****	860.79	1,044.26
6	**वीसीईएस**	2,857.25	163.89
7	**आईटीआर/टीडीएस**	406.67	235.68
8	**अन्य**	251.40	736.21
	कुल	**9,212.95**	**7,156.60**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

* एससीएन का अधिनिर्णय करने के पश्चात

चूककर्ता से वसूली एससीएन जारी करने तथा उसके तहत अधिनिर्णय के पश्चात की जाती है ब्याज/विलम्ब फाइलिंग शुल्क आदि

विव16 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण ₹ 2,11,415 करोड़ था जिसमें से विभागीय प्रयासों के कारण केवल ₹ 7,156.60 करोड़ संग्रहित हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि तालिका 1.19 में आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी के अन्तर्गत दर्शाया गया राजस्व संग्रहण क्रमश: तालिका 1.18 तथा 1.8 में दर्शायी राशि के साथ मेल नहीं खाता है। वास्तव में, तालिका 1.19 (₹ 3,009 करोड़) में परिलक्षित वसूलियां तालिका 1.8 (₹ 4,658 करोड़) में सूची अपवंचन रोधी की स्पॉट वसूलियों से काफी कम है। हालांकि, विव15 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रदत डाटा के संदर्भ में ऐसी डाटा भिन्नता को पिछले वर्ष की सेवा कर पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2016 की रिपोर्ट संख्या 1) के माध्यम से मंत्रालय के नोटिस में लाया गया था तथापि, मंत्रालय ने 2016 में पुन: उचित सत्यापन के बिना ऐसा डाटा भेजा।

1.19 मंत्रालय द्वारा डाटा का अप्रस्तुतिकरण तथा प्रस्तुत डाटा में असंगति

मंत्रालय विव16 के लिए विवरणी की विस्तृत संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा प्रतिदाय मामलों के निपटान से संबंधित डाटा प्रदान नहीं कर सका क्योंकि नवम्बर 2014 से डाटा का प्रारूप तथा डाटा के अनुरक्षण का दायित्व संशोधित हो गया था। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण डाटा के अनुरक्षण की निरन्तरता सीबीईसी में प्रबंधन परिवर्तन के दौरान सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटरों जैसे विवरणी की संवीक्षा, प्रतिदाय, आंतरिक लेखापरीक्षा इत्यादि से संबंधित डाटा प्रदान किया था। यद्यपि, पंजीकृत निर्धारितियों तथा विवरणियों[14] की प्रारंभिक संवीक्षा के संबंध में हमने देखा कि प्रस्तुत डाटा, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 के लिए प्रदान की गई सूचना के साथ मेल नहीं खाता था। सेवा कर के संबंध में डाटा अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

[14] तालिका 1.6 तथा 1.9

1.20 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुपालन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखा 2007 (यथा संशोधित) पर विनियमावली तथा लेखापरीक्षण मानक, द्वितीय संस्करण, 2002 के अनुसार किया जाता है।

1.21 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

डीओआर, सीबीईसी, तथा उनकी क्षेत्र संरचनाओं में मूलभूत रिकार्ड/दस्तावेजो के साथ संघ वित्त लेखा से डाटा, अन्य पणधारको की रिपोर्ट के साथ सीबीईसी के एमआईएस तथा एमटीआरज का उपयोग किया गया। हमारे पास लेखापरीक्षा महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालय है जिन्होंने वित्त16 में 1,082 इकाईयों (सीएक्स तथा एसटी) की लेखापरीक्षा का प्रबंधन किया था।

1.22 रिपोर्ट का विहंगावलोकन

वतर्मान रिपोर्ट में ₹ 256.88 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 162 पैराग्राफ है। सामान्यतया आपत्तियों के तीन प्रकार हैं: सेवा कर का गैर भुगतान, सेवा कर का कम भुगतान, सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग इत्यादि। विभाग/मंत्रालय ने पहले ही परिशोधित कार्रवाई की है जिसमें कारण बताओं नोटिस को जारी करना, कारण बताओं नोटिस का अधिनिर्णयन तथा ₹ 78.47 करोड़ की अभिलेखित वसूली होने के रूप में 158 पैराग्राफ के मामले में ₹ 252.65 करोड़ की राशि शामिल है।

1.23 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट शामिल) हमने ₹ 2,181.44 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 810 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (तालिका 1.20) को शामिल किया था।

तालिका 1.20 : लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष			विव12	विव13	विव14	विव15	विव16	कुल
शामिल पैराग्राफ		संख्या	152	151	178	167	162	**810**
		राशि	500.23	265.75	772.08	386.50	256.88	**2,181.44**
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	150	147	171	163	158	**789**
		राशि	498.65	262.29	477.22	372.80	252.65	**1,863.61**
	मुद्रण के बाद	संख्या	1	4	--	1	--	**6**
		राशि	0.52	1.81	--	0.32	--	**2.65**
	कुल	संख्या	151	151	171	164	158	**795**
		राशि	499.17	264.1	477.22	373.12	252.65	**1,866.26**
प्रभावित वसूली	मुद्रण पूर्व	संख्या	88	95	92	104	122	**501**
		राशि	84.58	65.28	130.29	53.02	78.47	**411.64**
	मुद्रण के बाद	संख्या	4	9	11	3	--	**27**
		राशि	0.85	2.07	33.93	1.10	--	**37.95**
	कुल	संख्या	92	104	103	107	122	**528**
		राशि	85.43	67.35	164.22	54.12	78.47	**449.59**

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा गया है कि मंत्रालय ने ₹ 1,866.26 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 795 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को स्वीकृत किया था तथा ₹ 449.59 करोड़ वसूल किए थे।